कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022–23/4546 दिनांक 30-3-2023

निमित्त– अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खंड III बारां।

विषय :–Proposal for Diversion of 286.47 ha of forest land in favour of Executive Engineer,Water Resource Division III ,Baran Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation Project in Baran District. (Proposal no :- FP/RJ/IRRIG/24263/2017)

संदर्भ:– अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए)राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक 5130–32 दिनांक 08.03.2023 के कम में एव आपका पत्र कमांक 2929 दिनांक 15.03.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संर्दभित पत्र के कम में लेख है कि आप द्वारा प्रेषित पत्र कमांक 2929 दिनांक 15.03.2023 कि EDS के प्रति उत्तर में निम्न कमिया है जो निम्नानुसार है।

1. बिन्दु संख्या 2 के कम में MOEF के पत्र दिनांक 04.02.2021 के बिन्दु संख्या 1 के (b) में EDS है जिसमें लिखा है कि In some part of area proposed for compensatory afforestation Encroachment is observed on Google overlay of shape files provided . There for site suitability of compensatory afforestation is to be re assessed and if need be additional compensatory afforestation patch to compensate the loss of proposed forest diversion may be pledged. EDS के प्रति उत्तर में आपके पत्र कमांक 1142 दिनांक 03.08.2022 को उक्त भूमि को अतिकमण मुक्त कर वन विभाग को संभलाने के संबंध में अंडरटेकिंग दी गई है। परन्तु अब आपके द्वारा EDS के Reply में दिये गये जवाब अनुसार पटवार मंडल बालदडा के पटवारी एव पाटुन्दा के पटवारी की बिना नम्बरी एवं बिना दिनांक की मौका पर्चा संलग्न कर उस स्थान पर अतिकमण नही होने बाबत एक तरफा रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। जिसमें किसी भी वन अधिकारी एव जल संसाधन विभाग के अधिकारी एव राजस्व विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। जिससे रिपोर्ट क्यो व किसके आदेश से बनाई गई है स्पष्ट नही है। अतः उस स्थिति को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

2. बिन्दु संख्या 3 के कम में EDS के प्रति उत्तर में बताया गया है कि उक्त परियोजना में कोई मक सर्जित नही होगा। जो भी मक कन्ट्रक्शन मेटेरियल लिया जायेगा वह बाहर से लिया जायेगा। इस संबंध में आप द्वारा दिनांक 18.03.2021 को दी गई अंडरटेकिंग में मक सर्जित होना बताया गया है एव अवशेष मक का निस्तारण करना भी बताया गया है। अतः विरोधाभाषी अंडरटेकिंग होने से आपके उच्च कार्यालय की राय एवं अंडरटेकिंग लिया जाना उचित प्रतीत हो रहा है कृप्या आपके उच्च कार्यालय की राय एवं तकनीकी विश्लेषण भिजवाये।

Scanned with CamScanner

3. बिन्दु संख्या 4 के कम में EDS के प्रति उत्तर में बताया गया है कि लागत लाभ विश्लेषण में संशोधन कर दिया गया है एवं जिसकि सारणी के कमांक A में वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक धन राशि की जो मांग कि गई है उसके अनुसार N.P.V कि नवीन दर से एवं C.A कि मांग कि पुरानी दरो @164100/- से गणना की गई है जबकि कार्यालय द्वारा आपको @198000 की दरो से NFL इस कार्यालय के पत्र कमांक 1570 दिनांक 21.02.2023 से भिजवाई जा चुकि है। अतः आप संशोधन उपरान्त लागत लाभ विश्लेषण उचित स्वीकृति उपरान्त भिजवाये।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.अतिःप्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2संभागीय मुख्य वन संरक्षक,कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

Scanned with CamScanner